भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2040

जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है

सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

2040. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतर-राज्यीय पुलों और आर्थिक महत्व की सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों विशेष रूप से महाराष्ट्र को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें इस उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए में मुख्य रूप से उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अंतर-राज्यीय पुलों के निर्माण और आर्थिक महत्व के कार्यों सहित अन्य कार्यों को यातायात घनत्व, संपर्कता की आवश्यकता, सड़क की स्थिति और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल के आधार पर लिया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र राज्य सहित, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए आवंटित निधि और व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) -वार विवरण, जिसमें अंतर-राज्यीय पुलों का निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्गों पर आर्थिक महत्व के कार्यों का निर्माण शामिल है, अनुलग्नक-I में है।

सरकार संशोधित सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के तहत अंतर-राज्यीय पुलों और आर्थिक महत्व की सड़कों के निर्माण सहित राज्य सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि आवंटित और जारी (रिलीज) करती है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र राज्य सहित, आर्थिक महत्व के अंतर-राज्यीय पुलों और सड़कों के निर्माण सहित राज्य सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए निधि के संचय और जारी करने का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक- II में है।

अनुलग्नक-I

"सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता" के संबंध में श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे द्वारा दिनांक 30.07.2026 को पूछा गया लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2040 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र राज्य सहित, एनएच के विकास और रखरखाव के लिए आवंटित निधि और व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण, जिसमें अंतर-राज्यीय पुलों का निर्माण और एनएच पर आर्थिक महत्व के कार्य शामिल हैं: -

राशि करोड़ रूपये

क्र.स.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2023-24**		**2024-25**		**2025-26**		**2026-27 (30.06.2026 तक)**	
		आवंटन	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**
1	आंध्र प्रदेश	11,440	11,440	11,777	11,756	12,140	12,109	3,599	2,543
2	अरुणाचल प्रदेश	2,649	2,649	3,972	3,599	3,572	3,109	558	203
3	असम	9,137	9,137	7,209	7,207	6,353	6,334	949	877
4	बिहार	10,749	10,749	8,840	8,840	9,962	9,962	3,500	3,124
5	छत्तीसगढ	4,255	4,255	2,392	2,280	3,705	3,682	1,035	684
6	गोवा	620	620	851	651	842	703	368	267
7	गुजरात	10,900	10,900	8,262	8,091	8,741	8,706	2,735	2,339
8	हरियाणा	6,062	6,062	4,391	4,344	3,330	3,327	1,119	1,057
9	हिमाचल प्रदेश	5,175	5,175	3,998	3,994	3,832	3,818	1,511	1,109
10	झारखंड	4,599	4,599	5,334	5,169	4,261	4,127	1,338	1,033
11	कर्नाटक	12,695	12,695	11,147	10,819	11,477	11,446	3,169	2,620
12	केरल	10,419	10,419	5,100	5,082	4,106	4,056	1,248	1,227
13	मध्य प्रदेश	7,447	7,447	7,819	7,799	10,697	10,519	2,604	2,193
14	महाराष्ट्र	19,867	19,867	18,697	18,512	20,551	20,504	5,032	4,749
15	मणिपुर	2,598	2,598	2,018	2,011	1,781	1,444	167	152
16	मेघालय	1,803	1,803	1,835	1,697	1,495	1,477	213	180
17	मिजोरम	2,189	2,189	2,114	2,091	1,508	1,507	350	327
18	नागालैंड	1,414	1,414	1,681	1,600	1,229	1,166	273	188
19	ओडिशा	5,948	5,948	6,121	5,786	5,982	5,862	1,484	1,097
20	पंजाब	12,419	12,419	8,137	7,898	7,367	7,291	1,358	1,239
21	राजस्थान	8,874	8,874	6,330	6,301	4,955	4,890	1,421	1,166
22	सिक्किम	684	684	473	441	453	427	112	62
23	तमिलनाडु	9,925	9,925	9,077	9,068	8,514	8,393	2,149	1,951

राशि करोड़ रूपये

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24		2024-25		2025-26		2026-27 (30.06.2026 तक)	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
24	तेलंगाना	6,117	6,117	7,564	7,496	7,030	6,765	1,510	1,208
25	त्रिपुरा	1,546	1,546	778	767	771	771	119	117
26	उत्तर प्रदेश	28,114	28,114	20,682	20,665	25,041	24,640	7,009	5,702
27	उत्तराखंड	4,545	4,545	3,996	3,835	3,751	3,716	917	774
28	पश्चिम बंगाल	3,543	3,543	2,241	2,240	4,874	4,807	562	336
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	96	96	204	204	211	211	48	48
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	1	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	2	2	100	46	180	136	80	0
32	दमन और दीव								
33	दिल्ली / मुख्यालय	3,223	3,223	2,840	2,840	1,170	1,170	256	248
34	जम्मू और कश्मीर	10,528	10,528	10,331	10,204	8,083	7,999	1,846	1,484
35	लद्दाख	658	658	794	768	338	333	70	20
36	पुदुचेरी	35	35	29	23	9	2	18	0

आवंटन - आवंटन; व्यय - व्यय

अनुलग्नक-II

"सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता" के संबंध में श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे द्वारा दिनांक 30.07.2026 को पूछा गया लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2040 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और इस वर्ष के दौरान, महाराष्ट्र राज्य सहित, राज्य की सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए निधि जमा होने और जारी होने का राज्य/ संघ राज्य वार विवरणः -

राशि करोड़ रूपये में

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24		2024-25		2025-26		2026-27 (30.06.2026 तक)	
		उपार्जन #	जारी #	उपार्जन#	जारी #	उपार्जन#	जारी #	उपार्जन#	जारी #
1	आंध्र प्रदेश	420.10	485.48	420.00	322.56	456.08	508.43	480.63	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	167.75	238.00	168.04	269.13	185.02	185.02	194.78	0.00
3	असम	194.65	223.24	193.55	222.59	211.69	241.36	221.26	0.00
4	बिहार	258.43	258.43	255.17	255.17	281.37	281.37	295.90	45.39
5	छत्तीसगढ	320.19	353.60	322.62	177.28	358.59	212.38	376.65	0.00
6	गोवा	18.47	48.16	17.79	29.70	19.56	9.29	20.51	0.00
7	गुजरात	586.35	73.79	585.01	680.70	642.03	531.07	676.77	0.00
8	हरियाणा	205.63	108.60	203.31	189.00	222.59	60.87	232.08	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	136.32	136.32	130.95	130.96	143.77	141.70	150.12	127.09
10	झारखंड	207.57	192.64	208.51	251.61	231.56	192.24	243.28	0.00
11	कर्नाटक	608.06	660.91	608.81	453.85	661.87	479.24	686.80	0.00
12	केरल	171.14	186.37	166.06	166.06	181.31	152.13	189.81	160.69
13	मध्य प्रदेश	719.10	778.13	721.61	682.14	796.71	796.71	837.75	0.00
14	महाराष्ट्र	886.63	886.63	891.52	891.52	987.55	987.55	1045.83	0.00
15	मणिपुर	48.37	146.98	46.87	15.19	51.89	41.35	55.06	0.00
16	मेघालय	54.83	78.42	55.37	61.55	60.13	60.13	62.83	0.00
17	मिजोरम	43.62	35.60	43.86	55.45	48.70	23.61	51.38	0.00
18	नागालैंड	35.54	46.09	35.79	32.09	39.35	37.24	41.25	0.00
19	ओडिशा	387.41	423.41	392.13	392.13	432.27	432.27	452.53	0.00
20	पंजाब	195.33	72.04	195.97	174.52	210.67	0.00	218.94	0.00
21	राजस्थान	812.41	745.90	816.17	1120.67	901.81	1694.24	949.45	0.00
22	सिक्किम	16.27	28.04	16.18	21.72	17.67	17.67	18.53	0.00

									राशि करोड़ रूपये में
क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24		2024-25		2025-26		2026-27 (30.06.2026 तक)	
		उपार्जन #	जारी #	उपार्जन#	जारी #	उपार्जन#	जारी #	उपार्जन#	जारी #
23	तमिलनाडु	457.11	486.15	457.75	425.76	500.94	454.44	531.54	458.35
24	तेलंगाना	335.09	366.38	335.58	335.59	367.17	367.17	384.29	0.00
25	त्रिपुरा	23.94	25.92	24.01	23.94	26.52	26.59	27.77	0.00
26	उत्तर प्रदेश	777.40	821.07	777.88	784.51	861.57	861.57	901.67	763.35
27	उत्तराखंड	129.83	140.46	129.95	55.07	143.20	120.15	150.06	127.04
28	पश्चिम बंगाल	275.67	298.08	272.75	272.75	299.40	251.21	312.13	48.19
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	19.75	16.68	19.75	16.06	21.73	3.96	22.82	0.00
30	चंडीगढ़	7.39	0.00	7.40	0.00	8.14	0.00	8.55	0.00
31	दादरा और नगर हवेली	6.50	0.00	6.49	0.00	7.14	0.00	7.50	0.00
32	दमन और दीव								
33	दिल्ली	36.31		36.31	0.00	39.94	11.17	41.91	0.00
34	जम्मू और कश्मीर	128.67	206.67	128.67	128.67	141.54	141.54	148.51	125.73
35	लद्दाख	326.41	68.10	326.41	95.56	359.05	210.84	377.13	0.00
36	पुदुचेरी	11.76	9.94	11.76	9.94	12.94	10.86	0.00	0.00

कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पिछले वर्षों के अप्रयुक्त शेष से प्राप्त होने वाली राशि से अधिक निधि जारी की गई है।

#इसमें सेतु बंधन योजना के अंतर्गत सीआरआईएफ योजना के तहत राज्य सड़कों पर आरओबी/आरयूबी/पुलों के निर्माण के लिए आवंटित/जारी की गई निधि शामिल है।
